महत्वपूर्ण निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला–रायपुर

22/5/20

क्र. 76/ब-4/04/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/5/2020

प्रति,

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,

(2) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल

(3) समस्त विभागध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी

(4) समस्त आहरण संवितरण अधिकारी

(5) समस्त कोषालय अधिकारी

विषय:- मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के मार्च 2020 से एक दिन के वेतन राशि कटौत्रा के संबंध में।

संदर्भ:- वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 213A/ब-4/2020 दिनांक 31.03.2020

-----00-----

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 167 दिनांक 31.03.2020 के अनुक्रम में विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी संगठनों से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर संदर्भित पत्र द्वारा माह मार्च 2020 के वेतन (अप्रैल में भुगतान) से एक दिन की वेतन राशि का कटोत्रा कर मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान हेतु निर्देश जारी किये गये है। आईएएस एसोसियेशन एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी संगठनों से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों के मई 2020 के वेतन से एक दिन के वेतन की राशि कटौत्रा करके निम्नानुसार बजट शीर्ष में जमा करने की सुविधा ई-पेरोल सॉफ्टवेयर के utilities menu के अंतर्गत relief fund update option में उपलब्ध करा दी गई है:-

मुख्य शीर्ष - 8443 - सिविल जमा राशियां
लघु शीर्ष - {800} - सिविल जमा राशियां
योजना क्रमांक - {0001} - मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा

2/ कृपया उपरोक्तानुसार कटौत्रा सुनिश्चित करते हुये वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी का होगा।

24/5

(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 77/ब-4/04/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/5/2020

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़
6. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
13. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाईट में अपलोड करने हेतु
21. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया ई-कोष साफ्टवेयर में वेतन देयक से की गयी कटौती राशि के लोक लेखा जमा शीर्ष में संपूर्ण राशि का विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
22. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय अधिकारी को उपरोक्त लोक लेखा जमा शीर्ष (मुख्यमंत्री राहत कोष) में जमा राशि को (एन.आई.सी. के माध्यम से ई-कोष से प्राप्त जमा राशि के विवरण अनुसार) आहरित कर बैंकर्स चेक/आरटीजीएस के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के बैंक खाते में जमा कराएं।
23. .... संबंधित अधिकारी/कर्मचारी संघ की ओर सूचनार्थ।

24/5

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग